न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 60 सन 2022
अनवान :–

1. राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. राजकुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनाक :– 25/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 10.1300हैक्ट में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 22957/607800 हिस्सा , प्रार्थी संख्या 2 के नाम 732/25325 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल एव प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजेन्द्रसिह उर्फ राजकुमार पुत्र मनफुल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम , राजकुमार पुत्र फुलाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम , राजकुमार पुत्र फुलाराम, दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि मे प्रार्थीगण का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल एव राजेन्द्रसिह उर्फ राजकुमार पुत्र मनफुल के स्थान पर राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम , राजकुमार पुत्र फुलाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण के नाम रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 10.1300हैक्ट में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 22957/607800 हिस्सा , प्रार्थी संख्या 2 के नाम 732/25325 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल एव प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजेन्द्रसिह उर्फ राजकुमार पुत्र मनफुल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम , राजकुमार पुत्र फुलाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम ,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

राजकुमार पुत्र फुलाराम, दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के नाम रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 10.1300हैक्ट में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 22957/607800 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 732/25325 हिस्सा खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थीगण का नाम राजेन्द्रसिह उर्फ राजकुमार पुत्र मनफुल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उनका सही नाम राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम, राजकुमार पुत्र फुलाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड राशन कार्ड अदि सभी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम, राजकुमार पुत्र फुलाराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /ग्राम पंचायत की तस्दीक/तहसीलदार का ऐतराज नही होने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहको को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 112/116 की कुल 10.1300हैक्ट में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 22957/607800 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 732/25325 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल एव प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजेन्द्रसिह उर्फ राजकुमार पुत्र मनफुल के स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजकुमार पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / 2478 दिनांक :– 25/7/22

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 60 / 2022 अनवानी राजेन्द्रसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रसंग :– अनवान :–

1. राजेन्द्र सिह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2. राजकुमार पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 60 / 2022 अनवानी राजेन्द्र सिह बनाम सरकार में दिनांक 25/07/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 112 / 116 की कुल 10.1300हैक में से प्रार्थी संख्या 1 के नाम 22957 / 607800 हिस्सा , प्रार्थी संख्या 2 के नाम 732 / 25325 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल एव प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजेन्द्रसिह उर्फ राजकुमार पुत्र मनफुल के स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम व प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजकुमार पुत्र मनफुल उर्फ फुलाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner